

**रिक्त व्यावसायिक तथा व्यावसायिक-सह-आवासीय भूखण्डों/दुकानों का विवरण  
(आवंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से)**

क्र०सं०	योजना का नाम	सम्पत्ति श्रेणी	रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी०)	भूखण्डों/दुकानों का मूल्य प्रति वर्गमीटर (रु० में)	प्रति भूखण्ड/दुकान अनुमानित मूल्य (रु० में)	पंजीकरण धनराशि (रु० में)	रिक्त सम्पत्ति संख्या
1	देवप्रयागम् आवास योजना, सेक्टर-डी एस०टी०पी० के निकट	(HIGH SCHOOL/ COLLEGE) PLOT	1	2000.00	30,000.00	60,000,000.00	6000000.00	PLOT NO.- 1
2	नैनी आवास योजना, नैनी।	COMMERCIAL PLOT	1	57.15	56,000.00	3,200,400.00	320040.00	C-9
		COMMERCIAL PLOT	1	50.85	56,000.00	2,847,600.00	284760.00	C-10
3	नैनी आवास योजना, नैनी।	COMMERCIAL PLOT	1	166.71	60,000.00	10,002,600.00	1000260.00	CD-1
		COMMERCIAL PLOT	1	152.13	60,000.00	9,127,800.00	912780.00	CD-2
		COMMERCIAL PLOT	1	137.55	60,000.00	8,253,000.00	825300.00	CD-3
		COMMERCIAL PLOT	1	122.97	60,000.00	7,378,200.00	737820.00	CD-4
		COMMERCIAL PLOT	1	108.39	60,000.00	6,503,400.00	650340.00	CD-5
		COMMERCIAL PLOT	1	117.30	60,000.00	7,038,000.00	703800.00	CD-6
		COMMERCIAL PLOT	1	100.43	60,000.00	6,025,800.00	602580.00	CD-7
		COMMERCIAL PLOT	1	166.25	60,000.00	9,975,000.00	997500.00	CD-8
		COMMERCIAL PLOT	1	127.50	60,000.00	7,650,000.00	765000.00	CD-9
4	कालिन्दीपुरम आवास योजना (गोकुल सेक्टर- प्रधानमंत्री आ० यो०)	COMMERCIAL PLOT	1	119.05	63,000.00	7,500,150.00	750015.00	4
5	कालिन्दीपुरम आवास योजना (गोकुल सेक्टर)		1	169.56	48,750.00	8,266,050.00	826605.00	16
			1	108.68	48,750.00	5,298,150.00	529815.00	18
6	कालिन्दीपुरम आवास योजना (बरसाना सेक्टर, कालिन्दीपुरम)	SCHOOL PLOT	1	4200.00	30,500.00	128,100,000.00	12810000.00	-
7	मुट्ठीगंज आवास योजना	SHOP NO. 09	1	18.27		1,500,000.00	150000.00	9
		SHOP NO. 11	1	18.94		1,550,000.00	155000.00	11
8	संगम पैलेस	4TH FLOOR CHAMBER NO. 9,10,11,12	1	303.26	150150.00	45,534,376.00	4553437.60	9,10,11,12
9	नीम सराय आवास योजना	COMMERCIAL PLOT	1	25.19	56,000.00	1,410,640.00	141064.00	9
		COMMERCIAL PLOT	1	26.35	56,000.00	1,475,600.00	147560.00	10
		COMMERCIAL PLOT	1	27.42	56,000.00	1,535,520.00	153552.00	11

		COMMERCIAL PLOT	1	28.59	56,000.00	1,601,040.00	160104.00	12
		COMMERCIAL PLOT	1	20.10	56,000.00	1,125,600.00	112560.00	13
		COMMERCIAL PLOT	1	29.41	56,000.00	1,646,960.00	164696.00	14
		COMMERCIAL PLOT	1	23.318	56,000.00	1,305,808.00	130580.80	14A
		COMMERCIAL PLOT	1	30.90	56,000.00	1,730,400.00	173040.00	8A
10	देवघाट झलवा आवास योजना, प्रयागराज	COMMERCIAL PLOT	1	25.05		1,571,965.00	157196.50	7A
11	अम्बेडकर विहार आवास योजना, प्रयागराज	COMMERCIAL PLOT	1	86.73	68,600.00	5,949,678.00	594967.80	1
		COMMERCIAL PLOT	1	79.47	68,600.00	5,451,642.00	545164.20	4
		COMMERCIAL PLOT	1	70.52	68,600.00	4,837,672.00	483767.20	2
		COMMERCIAL PLOT	1	68.48	68,600.00	4,697,728.00	469772.80	3
12	कसारी मसारी आवास योजना, फेज-1	COMMERCIAL PLOT	1	1794.22	65,000.00	11,66,24,300.00	1,16,62,430.00	1
		COMMERCIAL PLOT	1	1007.04	65,000.00	6,54,57,600.00	65,45,760.00	2
		COMMERCIAL PLOT	1	812.78	65,000.00	5,28,30,700.00	52,83,070.00	3
<b>TOTAL</b>			<b>35</b>					

### संक्षिप्त नियम एवं शर्तें

- समस्त व्यावसायिक भूखण्डों/दुकानों, स्कूल, व्यावसायिक सह आवासीय आदि भूखण्डों के पंजीकरण एवं बोली की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से प्राधिकरण की वेबसाइट [pdaprayagraj.org.in](http://pdaprayagraj.org.in) पर ही करनी होगी तथा स्पष्ट एवं पूर्ण आवेदन एवं ऑनलाइन बोली ही मान्य होंगे। फॉर्म फीस रू0 500.00 होगी जो वापस देय नहीं होगा।
- व्यावसायिक भूखण्डों/दुकानों, स्कूल, व्यावसायिक सह आवासीय आदि भूखण्डों का आवंटन ई-ऑक्शन द्वारा किया जायेगा और बोली ऑनलाइन ही लगानी होगी।
- व्यावसायिक भूखण्डों/दुकानों, स्कूल, व्यावसायिक सह आवासीय आदि भूखण्डों के सापेक्ष स्वीकृत उच्चतम बोली के अन्तर्गत देय धनराशि की 25% धनराशि आवंटन के एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा जिसमें जमा पंजीकरण की धनराशि भी सम्मिलित रहेगी। अवशेष 75% धनराशि आवंटन पत्र के निर्गत होने के 45 दिन के अन्दर अथवा 04 समान त्रैमासिक किश्तों में निर्धारित ब्याज सहित जमा किया जाना है। समय से भुगतान न करने पर दण्ड ब्याज देय होगा।
- ई-ऑक्शन में भाग लेने वाला इच्छुक व्यक्ति एक से अधिक परिसम्पत्तियों पर ई-बोली लगा सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक परिसम्पत्ति के लिये पृथक-पृथक अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी ऑनलाइन जमा कराना होगा। आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक व्यावसायिक सम्पत्तियां क्रय की जा सकती है। आवंटन के पश्चात् कोई आवंटी आवंटित सम्पत्ति को निरस्त कराता है तो अनुमानित मूल्य का 25% धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- रिक्त व्यावसायिक भूखण्डों/दुकानों, स्कूल, व्यावसायिक सह आवासीय आदि भूखण्डों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट [pdaprayagraj.org.in](http://pdaprayagraj.org.in) पर देखी जा सकती है।

6. मौके पर व्यावसायिक भूखण्डों/दुकानों, स्कूल, व्यावसायिक सह आवासीय आदि भूखण्डों आदि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि होने पर तदनुसार ही अन्तर धनराशि संशोधित की जायेगी और तदनुसार आवंटी द्वारा उसका भुगतान किया जायेगा। भूखण्डों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
7. आवंटी को व्यावसायिक भूखण्डों/दुकानों, स्कूल, व्यावसायिक सह आवासीय आदि भूखण्डों के मूल्य के अतिरिक्त निर्धारित फ्री-होल्ड शुल्क, लीज रेन्ट, गणना, सेनेटरी, साइट प्लान एवं अन्य शुल्क देय होगा, उसका भुगतान करना होगा। विक्रय विलेख का समस्त व्यय, नगर निगम, जल संस्थान एवं अन्य विभागों के समस्त देयक आवंटी को वहन करना होगा।
8. व्यावसायिक भूखण्डों/दुकानों, स्कूल, व्यावसायिक सह आवासीय आदि भूखण्डों का सम्पूर्ण मूल्य आवंटन के पश्चात् निर्धारित तिथि से पूर्व कभी भी जमा किया जा सकता है। सम्पूर्ण मूल्य जमा होने पर रजिस्ट्री सम्पादित होने के पश्चात् ही सम्पत्ति का कब्जा देय होगा आवंटित भूखण्डों पर विकास एवं निर्माण प्राधिकरण से नियमानुसार कब्जा प्राप्त कर एवं मानचित्र स्वीकृत कराकर ही करना होगा।
9. सम्पत्तियों के आवंटन में आरक्षण शासनादेश संख्या-4982/9-आ-1-99-79बैटक/99 दिनांक 17.12.1999 के अनुसार लागू होगा, जिसके लिए वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फॉर्म में आरक्षण कालम न भरने व प्रमाण पत्र न संलग्न करने पर उक्त पंजीकरण सामान्य माना जायेगा।
10. उपरोक्त व्यावसायिक भूखण्डों/दुकानों, स्कूल, व्यावसायिक सह आवासीय आदि भूखण्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित, वरिष्ठ नागरिक व समाज के दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है। आरक्षित श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को सम्पत्ति के कुल मूल्य में छूट देय नहीं है। आधी पंजीकरण धनराशि अग्रिम के रूप में जमा होने वाली सम्पत्ति के मूल्य के 25% धनराशि में समायोजित कर जमा करना होगा।
11. ई-ऑक्शन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज में निहित है।
12. विवाद की स्थिति में मामले का निस्तारण "प्रयागराज जनपद न्यायालय" के क्षेत्राधिकार में होगा।
13. प्राधिकरण/शासन द्वारा समय-समय पर जारी एवं लागू समस्त नियमों का पालन करना होगा।
14. ई-ऑक्शन में 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही प्रतिभाग कर सकते हैं।
15. सम्पत्ति "जैसी है, जहाँ है" के आधार पर ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटित की जायेगी।
16. सम्पूर्ण प्रक्रिया यथा पंजीकरण/आवेदन, पंजीकरण शुल्क जमा करना व बोली इत्यादि ऑनलाइन के माध्यम से प्राधिकरण की वेबसाइट [pdaprayagraj.org.in](http://pdaprayagraj.org.in) पर ही होगी।
17. ई-ऑक्शन पोर्टल पर सभी विवरण सही-सही भरे जायें। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ई-ऑक्शन पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी सूचना असत्य पाये जाने पर आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि स्वीकृत बोलीदाता कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अथवा कपट, दुर्व्यपदेशन, अनुचित प्रभाव आदि के माध्यम से आवंटन प्राप्त करता है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि विक्रय विलेख के पश्चात् उपरोक्त प्रकार का कोई प्रतिकूल तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है तो विक्रय मूल्य का 50% धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
18. ई-ऑक्शन में प्रतिभाग करने वालों से अपेक्षा है कि ऑक्शन से पूर्व सम्पत्ति का विवरण, माप, चौहद्दी, स्वामित्व आदि की शुद्धता के विषय में आश्वस्त हो लें। यदि सम्पत्ति किसी बोलीदाता के पक्ष में आवंटित की जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि उसके द्वारा सम्पत्ति से सम्बन्धित विशेषताएं जैसे-स्वत्व इत्यादि के सम्बन्ध में सभी आपत्तियाँ त्याग दी हैं।
19. यदि ई-ऑक्शन में प्रतिभाग करने वालों द्वारा ऑक्शन की शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जाता है तो ई-ऑक्शन से वंचित करने का अधिकार उपाध्यक्ष प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज को होगा।

20. ई-ऑक्शन प्रक्रिया की किसी भी कार्यवाही को किसी भी स्तर पर अथवा पूरी प्रक्रिया को किसी भी समय व बोली स्वीकृत होने के पूर्व निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा। इसी प्रकार ई-ऑक्शन प्रारम्भ होने के प्राविधान लागू करने का अधिकार उपाध्यक्ष प्र0वि0प्रा0, प्रयागराज में निहित होगा, जिसकी सूचना ऑक्शन में भाग लेने वाले को ऑक्शन से पूर्व दे दी जायेगी।
21. किसी भी जानकारी हेतु प्राधिकरण के लैण्ड लाइन नं0 -0532-2400911 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार सम्पत्तियों का ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटन हेतु नियत अवधि के अन्तर्गत जनसामान्य से ऑनलाइन पंजीकरण व ऑनलाइन बोली लगाने हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है। इस हेतु उपर्युक्त सम्पत्तियों से सम्बन्धित विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाइट [pdaprayagraj.org.in](http://pdaprayagraj.org.in) पर दिनांक 24.08.2022 से 15.09.2022 तक पंजीकरण किया जा सकता है एवं ई-ऑक्शन तिथि 23.09.2022 को समय पूर्वाह्न 10:00 से सायं 5:00 बजे तक निर्धारित है।

**रिक्त व्यावसायिक भूखण्ड का विवरण  
(आवंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से)**

क्र०सं०	योजना का नाम	सम्पत्ति श्रेणी	रिक्त सम्पत्ति की संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी०)	भूखण्ड का मूल्य प्रति वर्गमीटर (रु० में)	भूखण्ड अनुमानित मूल्य (रु० में)	पंजीकरण धनराशि (रु० में)	रिक्त सम्पत्ति संख्या
1	लाला लाजपत राय रोड, (मम्फोर्डगंज) आवास योजना,	COMMERCIAL PLOT	1	12203.92	88200.00	1076385744.00	107638575.00	PLOT NO. 493
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>					

**संक्षिप्त नियम एवं शर्तें**

- समस्त व्यावसायिक भूखण्ड के पंजीकरण एवं बोली ऑनलाइन वेबसाइट [pdaprayagraj.org.in](http://pdaprayagraj.org.in) के माध्यम से ऑनलाइन एवं निर्धारित अवधि में ही करना होगा तथा स्पष्ट एवं पूर्ण आवेदन एवं ऑनलाइन बोली ही मान्य होंगे। फॉर्म फीस रु० 500.00 होगी जो वापस देय नहीं होगा।
- व्यावसायिक भूखण्ड का आवंटन ई-ऑक्शन द्वारा किया जायेगा और बोली ऑनलाइन ही लगानी होगी।
- व्यावसायिक भूखण्ड के सापेक्ष स्वीकृत उच्चतम बोली के अन्तर्गत देय धनराशि की 25% धनराशि आवंटन के एक माह के अन्दर जमा करना होगा जिसमें जमा पंजीकरण की धनराशि भी सम्मिलित रहेगी। अवशेष 75% धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने के 90 दिन के अन्दर अथवा 12 समान त्रैमासिक किश्तों में निर्धारित व्याज सहित भुगतान करना होगा। समय से भुगतान न करने की दशा में दण्ड ब्याज अलग से देय होगा।
- रिक्त व्यावसायिक भूखण्ड के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट [pdaprayagraj.org.in](http://pdaprayagraj.org.in) पर देखी जा सकती है।
- मौके पर व्यावसायिक भूखण्ड आदि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि होने पर तदनुसार ही अन्तर धनराशि संशोधित की जायेगी और तदनुसार आवंटी द्वारा उसका भुगतान किया जायेगा।
- आवंटी को व्यावसायिक भूखण्ड के मूल्य के अतिरिक्त निर्धारित फ्री-होल्ड शुल्क, लीज रेन्ट, गणना, सेनेटरी, साइट प्लान एवं अन्य शुल्क देय होगा, उसका भी भुगतान करना होगा। विक्रय विलेख का समस्त व्यय, नगर निगम, जल संस्थान एवं अन्य विभागों के समस्त देयक आवंटी को वहन करना होगा।
- व्यावसायिक भूखण्ड का सम्पूर्ण मूल्य आवंटन के पश्चात् निर्धारित तिथि से पूर्व कभी भी जमा किया जा सकता है। सम्पूर्ण मूल्य जमा होने पर रजिस्ट्री सम्पादित होने के पश्चात् ही सम्पत्ति का कब्जा देय होगा आवंटित भूखण्ड पर विकास एवं निर्माण प्राधिकरण से नियमानुसार कब्जा प्राप्त कर एवं मानचित्र स्वीकृत कराकर ही करना होगा।
- सम्पत्ति के आवंटन में आरक्षण शासनादेश संख्या-4982/9-आ-1-99-79बैठक/99 दिनांक 17.12.1999 के अनुसार लागू होगा, जिसके लिए वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फॉर्म में आरक्षण कालम न भरने व प्रमाण पत्र न संलग्न करने पर उक्त पंजीकरण सामान्य माना जायेगा।

9. उपरोक्त व्यावसायिक भूखण्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित, वरिष्ठ नागरिक व समाज के दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है किन्तु सम्पत्ति के कुल मूल्य में छूट देय नहीं है। आधी पंजीकरण धनराशि अग्रिम के रूप में जमा होने वाली सम्पत्ति के मूल्य के 25% धनराशि में समायोजित कर जमा करना होगा।
10. ई-ऑक्शन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज में निहित है।
11. विवाद की स्थिति में मामले का निस्तारण "प्रयागराज जनपद न्यायालय" के क्षेत्राधिकार में होगा।
12. प्राधिकरण/शासन द्वारा समय-समय पर जारी एवं लागू समस्त नियमों का पालन करना होगा।
13. ई-ऑक्शन में 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही प्रतिभाग कर सकते हैं।
14. सम्पत्ति "जैसी है, जहाँ है" के आधार पर ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटित की जायेगी।
15. सम्पूर्ण प्रक्रिया यथा पंजीकरण/आवेदन, पंजीकरण शुल्क जमा करना व बोली इत्यादि सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से प्राधिकरण की वेबसाइट [pdaprayagraj.org.in](http://pdaprayagraj.org.in) पर ही होगी।
16. ई-ऑक्शन पोर्टल पर सभी विवरण सही-सही भरे जायें। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ई-ऑक्शन पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी सूचना असत्य पाये जाने पर आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि स्वीकृत बोलीदाता कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अथवा कपट, दुर्व्यपदेशन, अनुचित प्रभाव आदि के माध्यम से आवंटन प्राप्त करता है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि विक्रय विलेख के पश्चात् उपरोक्त प्रकार का कोई प्रतिकूल तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है तो विक्रय मूल्य का 50% धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
17. ई-ऑक्शन में प्रतिभाग करने वालों से अपेक्षा है कि ऑक्शन से पूर्व सम्पत्ति का विवरण, माप, चौहद्दी, स्वामित्व आदि की शुद्धता के विषय में आश्वस्त हो लें। यदि सम्पत्ति किसी बोलीदाता के पक्ष में आवंटित की जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि उसके द्वारा सम्पत्ति से सम्बन्धित विशेषताएं जैसे-स्वत्व इत्यादि के सम्बन्ध में सभी आपत्तियाँ त्याग दी हैं।
18. यदि ई-ऑक्शन में प्रतिभाग करने वालों द्वारा ऑक्शन की शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जाता है तो ई-ऑक्शन से वंचित करने का अधिकार उपाध्यक्ष प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज को होगा।
19. ई-ऑक्शन प्रक्रिया की किसी भी कार्यवाही को किसी भी स्तर पर अथवा पूरी प्रक्रिया को किसी भी समय व बोली स्वीकृत होने के पूर्व निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा। इसी प्रकार ई-ऑक्शन प्रारम्भ होने के प्राविधान लागू करने का अधिकार उपाध्यक्ष प्र0वि0प्रा0, प्रयागराज में निहित होगा, जिसकी सूचना ऑक्शन में भाग लेने वाले को ऑक्शन से पूर्व दे दी जायेगी।
20. किसी भी जानकारी हेतु प्राधिकरण के लैण्ड लाइन नं0 -0532-2400911 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार सम्पत्ति का ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटन हेतु नियत अवधि के अन्तर्गत जनसामान्य से ऑनलाइन पंजीकरण व ऑनलाइन बोली लगाने हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है। इस हेतु उपर्युक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाइट [pdaprayagraj.org.in](http://pdaprayagraj.org.in) पर दिनांक 24.08.2022 से 15.09.2022 तक पंजीकरण किया जा सकता है एवं ई-ऑक्शन तिथि 23.09.2022 को समय पूर्वाह्न 10:00 से सायं 5:00 बजे तक निर्धारित है।